

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
संत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 15 / 02 / 2016

क्रमांक 1573/2015-04-02515/ब-4/चार चाँदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को दिए जा रहे अनुदान से संपादित किए जा रहे कार्यों के संबंधी मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1. | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन | - | अध्यक्ष |
| 2. | अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | - | सदस्य |
| 3. | अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | - | सदस्य |
| 4. | प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | - | सदस्य |
| 5. | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| 6. | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | - | सदस्य |

2/- यह समिति विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन, वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा करेगी।

(शहला निगार)
विशेष सचिव

पृ. क्रमांक 1574/2015-04-02515/ब-4/चार
प्रतिलिपि,

नया रायपुर, दिनांक 15 / 02 / 2016

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग अनुभाग, 5वीं मंजिल, ब्लॉक नं-11, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. स्टाफ आफिसर/निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. स्टाफ आफिसर/निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
6. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
7. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
8. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग (ब-4), मंत्रालय, नया रायपुर.
10. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(शहला निगार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी